

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एस्टे/डीईएस/मंत्रा/अ.अ./115/3572

दिनांक 27/01/2020

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कर्मियों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-


क्र. सं.	नाम कर्मचारी	विभाग/कार्यालय का नाम	प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है
1	2	3	4
1.	मनीषा पांचवाल	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, टोडारायसिंह, टोक	बी.ए. पार्ट तृतीय वर्ष 2020 स्नातक परीक्षा
2.	विजयलक्ष्मी शर्मा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, लूणी, जोधपुर	अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर परीक्षा वर्ष 2019-20
3.	लेखराज	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भरतपुर	बी.ए. एडीशनल अर्थशास्त्र
4.	तेजाराम जाट	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सम, जैसलमेर	एमजीएसयू बीकानेर एम.ए. इतिहास परीक्षा 2020
5.	अनिल कुमार स्वामी	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, श्रीमाधोपुर, सीकर	प्राध्यापक परीक्षा 2018 एवं केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019
6.	सुरजमल सांखला	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, नागौर, नागौर	यू.जी.सी. नेट परीक्षा 2019
7.	मनदीप सिंह	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2019
8.	सुनिता वर्मा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, रतनगढ़, चूरु	राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) 2019, स्कूल व्याख्यता भर्ती परीक्षा 2018
9.	जयवीर सहारण	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, तारानगर, चूरु	प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019
10.	नीतू नागर	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, नैनवां, बून्दी	स्कूल व्याख्यता भर्ती परीक्षा 2018, एम.ए. पूर्वाद्ध अर्थशास्त्र 2019

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्त निम्नानुसार है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।




4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
7. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
8. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।


(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग.....
3. संबंधित कार्मिक श्री.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली


(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (प्रशासन)